2011 का विधेयक सं. 2

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, **2005** को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) की धारा 6 के विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) वित्तीय वर्ष **2011-12** से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करेगी और तत्पश्चात् इसे बनाये रखेगी या राजस्व अधिशेष प्राप्त करेगी;

(ख) वित्तीय वर्ष **2011-12** तक राजवित्तीय घाटे को सकल राज्य देशी उत्पाद के **3** प्रतिशत तक लायेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को समयबद्ध लक्ष्यों सहित राजवित्तीय समेकन का जिम्मा लेकर राजवित्तीय उत्तरदायित्व रीति में राज्य वित्तों का प्रबंध करने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किया गया था।

तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि ऐसे राज्यों को, जिन्होंने **2007-08** में शून्य राजस्व घाटा प्राप्त किया है या राजस्व अधिशेष प्राप्त किया हैः-

(i) वित्तीय वर्ष **2011-12** से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए और तत्पश्चात् इसे बनाये रखना चाहिए या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना चाहिए;

(ii) वित्तीय वर्ष **2011-12** तक राजवित्तीय घाटे को सकल राज्य देशी उत्पाद के **3** प्रतिशत तक लाना चाहिए और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखना चाहिए या इसे कम करना चाहिए।

आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि राज्यों को, आयोग द्वारा बताये गये राजवित्तीय सुधार-मार्गों को सम्मिलित करने के लिए अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियमों को संशोधित करना चाहिए। आयोग द्वारा सिफारिश किये गये राज्य विशिष्ट अनुदान, राजवित्तीय सुधार के इन अनुबंधों का अनुपालन होने पर, वित्तीय वर्ष **2011-12** से निर्मुक्त किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष **2007-08** के दौरान, राजस्थान राज्य ने राजस्व अधिशेष प्राप्त किया था, इसलिए, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, **2005** की धारा **6** के खण्ड (क) और (ख) को संशोधित किया जाना अपेक्षित है। अतः, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा **6** के खण्ड (क) और (ख) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005
(2005 का अधिनियम सं. 7) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

6. राजवित्तीय प्रबंध के लक्ष्य.-विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार-

(क) 1 अप्रेल, 2005 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली 4 वित्तीय वर्षों की कालावधि के भीतर राजस्व घाटे को, राजस्व घाटे के राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में 3 प्रतिशत की औसत वार्षिक कमी का मार्ग अपनाते हुए, घटाकर शून्य करेगी ;

(ख) राजवित्तीय घाटे को, राजवित्तीय घाटे के प्राक्कलित सकल राज्य देशी उत्पाद के अनुपात में 0.4 प्रतिशत की न्यूनतम औसत वार्षिक कमी का मार्ग अपनाते हुए, घटाकर 3 प्रतिशत करेगी;

(ग) से (ङ) **XX XX XX XX**

परन्तु राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा,-

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण; या

(ख) विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण; या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगाः

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में उल्लिखित आधारों के कारण होने वाले सीमाओं के आधिक्य को, उक्त आधारों पर व्यय के

विस्तृत विवरण सहित, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष स्पष्ट किया जायेगा।

XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 2 of 2011

THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.-For the existing clauses (a) and (b) of section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), the following shall be substituted, namely:-

"(a) achieve zero revenue deficit target from financial year 2011-12 and thereafter maintain it or attain revenue surplus;

(b) achieve fiscal deficit of 3 percent of Gross State Domestic Product by financial year 2011-12 and thereafter maintain the said ratio or reduce it;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was enacted for the purpose of enabling the State Government to manage state finances in a fiscally responsible manner by undertaking fiscal consolidation with time bound targets.

Thirteenth Finance Commission has recommended that such of the States as had attained zero revenue deficit or achieved a revenue surplus in 2007-08, should attain:-

(i) zero revenue deficit target from financial year 2011-12 and thereafter maintain it or attain revenue surplus;

(ii) a fiscal deficit of 3 percent of Gross State Domestic Product by financial year 2011-12 and thereafter maintain the said ratio or reduce it.

The Commission has also recommended that States should amend their Fiscal Responsibility and Budget Management Acts to build in the fiscal reform path worked out by the Commission. The State Specific grants recommended by the Commission would be released from the financial year 2011-12 upon compliance of these stipulations of fiscal reform.

During the financial year 2007-08, the State of Rajasthan had achieved revenue surplus, therefore, clauses (a) and (b) of section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 are required to be amended to comply with the recommendations of the Thirteenth Finance Commission. Therefore, clauses (a) and (b) of section 6 of the aforesaid Act are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005
(Act No. 7 of 2005)

XX XX XX XX

6. Fiscal Management Targets.-In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall-

(a) reduce revenue deficit to Zero within a period of four financial years beginning from 1st day of April, 2005 and ending on the 31st day of March, 2009 by following a path of average annual reduction of 3 percent in the ratio of revenue deficit to revenue receipts;

(b) reduce fiscal deficit to 3 percent of the estimated Gross State Domestic Product by following a path of minimum average annual reduction of 0.4 percent in the ratio of fiscal deficit to estimated Gross State Domestic Product;

(c) to (e) XX XX XX XX

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section-

(a) due to ground or grounds of unforeseen demands on the finances of the State Government arising out of national security or natural calamity including drought relief or such other exceptional circumstances beyond the control of the State Government; or

(b) due to development and other unavoidable expenditure; or

(c) up to the limits indicated by the Central Government from time to time:

Provided further that the excess beyond limits arising due to the grounds mentioned in the first proviso shall be explained with a detailed statement on the said grounds, as soon as possible, before the House of the State Legislature.

XX XX XX XX

2011 का विधेयक सं. 2

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुडी़
सचिव।

(श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 2 of 2011

THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(ASHOK GEHLOT, Minister-Incharge)